राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी–3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 7 1(2)राछा/सान्याअवि/26/ई फाईल 01234 जयपुर, दिनांक – यथा ई–हस्ताक्षरित

<u>आदेश</u>

विभागीय राजकाज रेफरेन्स नम्बर 21207650 दिनांक 26.03.2026 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में वर्ष 2026–27 में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 27 मार्च 2026 से प्रारम्भ कर समय समय पर अंतिम तिथि बढाकर 31.08.2026 नियत की गई थी , साथ ही विभागीय राजकाज रेफरेन्स नम्बर 22406494 दिनांक 26.05.2026 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में वर्ष 2026–27 में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 27 मई 2026 से प्रारम्भ कर समय समय पर अंतिम तिथि बढाकर 31.08.2026 नियत की गई थी।

उपरोक्तानुसार शैक्षिणिक सत्र 2026–27 में छात्रावासों में प्रवेश कम हुये है अभी तक 91.00 प्रतिशत छात्र – छात्राओं की जवाईनिंग हुई है अतः छात्रावासों में अधिकतम प्रवेश देकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से विद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासो तथा महाविद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावासो में ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 से बढ़ाकर 30.09.2026 की जाती है।

समस्त जिलाधिकारियों, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों एवं छात्रावास अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि समस्त राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शत–प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालयों, /विद्यालयो एवं स्थानीय स्तर पर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कर छात्रावासों में नियमानुसार शतप्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करें।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 7 1(2)राछा/सान्याअवि/26/ई फाईल 01234 जयपुर, दिनांक – यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

1.विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3.निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4.जिला कलक्टर, ...।
5.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
6.अतिरिक्त निदेशक, छात्रावास, मुख्यालय।
7.संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समस्त को भेजकर लेख है कि प्रचार प्रसार कर छात्रावास मे शतप्रतिशत प्रवेश किया जाना सुनिश्चित करे।
8.संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि वे उक्त आदेश को तत्काल विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें एवं छात्रावास प्रवेश पोर्टल पर अंतिम तिथि बढाई जाना सुनिश्चित करावें।
9.समस्त छात्रावास अधीक्षक, ...।
10.आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
24267904

Digitally signed by
LALIT KUMAR
Designation: Director
Date: 2026-08-31
18:14:52 IST